

पत्र संख्या / / जी०एस०टी० / पुनरीक्षण प्रक्रिया निर्धारण / फाईल नं० आर-568 / 794 वाणिज्य कर।

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर,

(जी०एस०टी० अनुभाग),

लखनऊ: दिनांक: 24 दिसम्बर 2019

समस्त एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1,

समस्त एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2, (वि०अनु०शा० / अपील),

समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक / वि०अनु०शा० / कारपोरेट सर्किल / टैक्स आडिट),

समस्त डिप्टी कमिश्नर (क०नि० / राज्य प्रतिनिधि / वि०अनु०शा० / टैक्स आडिट),

समस्त असिस्टेंट कमिश्नर (क०नि० / राज्य प्रतिनिधि / वि०अनु०शा० / टैक्स आडिट),

समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

विषय:- उत्तर प्रदेश एस० जी०एस०टी० अधिनियम / सी०जी०एस०टी० अधिनियम की धारा-108 के अन्तर्गत प्राविधानित पुनरीक्षण (Revision) हेतु प्रकरण पुरीक्षण प्राधिकारी (Revisional Authority) को सन्दर्भित किए जाने की प्रक्रिया का निर्धारण ।

उत्तर प्रदेश एस०जी०एस०टी० अधिनियम / सी०जी०एस०टी० अधिनियम की धारा-2(99) में पुनरीक्षण प्राधिकारी (Revisional Authority) परिभाषित है । अधिनियम की धारा-108 में पुनरीक्षण प्राधिकारी (Revisional Authority) की शक्तियाँ प्राविधानित हैं । धारा-108(1) के प्राविधान निम्नवत् हैं-

Power of Revisional Authority-(1) Subject to the provisions of section 121 and any rules made there under, the Revisional Authority may, on his own motion, or upon information received by him or on request from the Commissioner of central tax, call for and examine the record of any proceedings, and if he considers that any decision or order passed under this Act or under the Central Goods and Services Tax Act by any officer subordinate to him is erroneous in so far as it is prejudicial to the interest of revenue and is illegal or improper or has not taken into account certain material facts, whether available at the time of issuance of the said order or not or in consequence of an observation by the comptroller and Auditor General of India, he may, if necessary, stay the operation of such decision or order for such period as he deems fit and after giving the person concerned an opportunity of being heard and after making such further inquiry as may be necessary, pass such order, as he thinks just and proper, including enhancing or modifying or annulling the said decision or order.

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या-1046/ग्यारह-2-2019-9(65)/19 दिनांक 19 अगस्त, 2019 से कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को पुनरीक्षण प्राधिकारी (**Revisonal Authority**) नियुक्त किया गया है ।

उक्त से यह स्पष्ट है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी (**Revisonal Authority**) के रूप में कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश एस0जी0एस0टी0 अधिनियम/सी0 जी0एस0टी0 अधिनियम के अन्तर्गत पारित निर्णय अथवा आदेश को धारा-108 (1) में अंकित आधारों पर पुनरीक्षित करने का अधिकार प्राप्त है ।

निम्न स्थितियों में पुनरीक्षण प्राधिकारी (**Revisonal Authority**) द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जायेगा-

धारा-108 (2) The Revisonal Authority shall not exercise any power under sub-section (1), if-

(a) the order has been subject to an appeal under section 107 or section 112 or section 117 or section 118; or

(b) the period specified under sub-section (2) of section 107 has not yet expired or more than three years have expired after the passing of the decision or order sought to be revised; or

(c) the order has already been taken of revision under this section at an earlier stage; or

(d) the order has been passed in exercise of the powers under sub-section (1):

Provided that the Revisonal Authority may pass an order under sub-section (1) on any point which has not been raised and decided in an appeal referred to in clause (a) of sub-section (2), before the expiry of a period of one year from the date of the order in such appeal or before the expiry of a period of three years referred to in clause (b) of that sub-section, whichever is later.

अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा पारित निर्णयों / आदेशों को पुनरीक्षण (**Revision**) हेतु सन्दर्भित किये जाने की प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जाती है-

जोन स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी का गठन एवं प्रक्रिया-

प्रत्येक जोन में रिवीजन से सम्बन्धित मामले पुनरीक्षण प्राधिकारी (**Revisonal Authority**) को सन्दर्भित किए जाने हेतु प्रत्येक जोन में जोनल एडीशनल कमिश्नर की अध्यक्षता में दो सदस्यीय

स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाता है। एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य होंगे। जोनल एडीशनल कमिश्नर स्क्रीनिंग कमेटी के सहयोग /सम्बन्धित निर्णयों, आदेशों के अध्ययन हेतु अपने अधीनस्थ ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक/वि0अनु0शा0/टैक्स आडिट/कारपोरेट सर्किल), डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेंट कमिश्नर राज्य प्रतिनिधि को लिखित आदेश से नामित कर सकेंगे, किन्तु जोनल स्तर पर नामित अधिकारी स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य नहीं होंगे।

(i) अधिनियम की धारा-107(15) के प्रयोजन हेतु जोन के एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, को **Authorty** नामित किया जाता है। न्यायिक संभागों में तैनात अपीलीय अधिकारियों द्वारा उ0प्र0एस0जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा-107 के अन्तर्गत पारित प्रत्येक आदेश की धारा-107(15)के प्राविधानों के अनुरूप कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0 को प्रेषित की जाने वाली प्रति संबंधित जोनल एडीशनल कमिश्नर को प्रेषित की जायेगी।

(ii) जोनल एडीशनल कमिश्नर के कार्यालय में उ0प्र0 एस0 जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा-107 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रत्येक आदेश का पूर्ण विवरण (आदेश का दिनांक एवं प्राप्ति दिनांक सहित) एक अलग पंजी में दर्ज किया जायेगा।

(iii) जोनल स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्वयं के संज्ञान के साथ-साथ विभागीय स्रोतों, केन्द्रीय कर प्रशासन तथा अन्य स्रोतों से संदर्भित पुनरीक्षण योग्य मामलों पर भी विचार किया जाएगा।

(iv) जोनल स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा सम्बन्धित आदेशों के सम्यक अध्ययन के उपरान्त सम्बन्धित निर्णय अथवा आदेश में धारा-108(1) में अंकित आधारों के आलोक में पायी गयी विसंगतियों के सम्बन्ध में अपना मन्तव्य अंकित करते हुए पुनरीक्षण की स्पष्ट संस्तुति की जायेगी। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा सम्बन्धित निर्णयों/आदेशों का परीक्षण करते समय धारा-108(6)(i) में उल्लिखित "Record" को भी संज्ञान में लिया जायेगा। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अपनी संस्तुति में यह तथ्य भी अंकित किया जायेगा कि संबंधित आदेश को पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान स्थगित रखे जाने की आवश्यकता है अथवा नहीं।

(v) जोनल स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा पुनरीक्षण की स्पष्ट संस्तुति सहित प्रकरण वांछित अभिलेखों की प्रतियाँ संलग्न करते हुए विधि अनुभाग मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(vi) जोनल एडीशनल कमिश्नर के कार्यालय में स्क्रीनिंग कमेटी के विचार हेतु प्रस्तुत सभी मामलों तथा इनमें से पुनरीक्षण प्राधिकारी को पुनरीक्षण हेतु संदर्भित सभी मामलों का पूर्ण विवरण रखा जाएगा।


मुख्यालय स्तर पर पुनरीक्षण के मामलों के रख-रखाव की प्रक्रिया-

(i) फील्ड से प्राप्त पुनरीक्षण के सभी प्रस्तावों का रख-रखाव मुख्यालय स्थित विधि अनुभाग द्वारा किया जायेगा।

(ii) ज्वाइंट कमिश्नर (विधि) मुख्यालय द्वारा फील्ड से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण विधिक प्राविधानों के आलोक में करने के उपरान्त संक्षिप्त टिप्पणी अंकित करते हुए प्रकरण पुनरीक्षण प्राधिकारी (Revisional Authority) के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।

(iii) विधि अनुभाग मुख्यालय में पुनरीक्षण हेतु विभिन्न जोन / केन्द्रीय कर प्रशासन / अन्य स्रोतों से पुनरीक्षण हेतु प्राप्त सभी मामलों का पूर्ण विवरण रखा जायेगा ।


कृपया तदनुरूप कार्यवाही करने का कष्ट करें।


(अमृता सोनी),
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या/एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि— निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन ।
2. एडीशनल कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर, मुख्यालय लखनऊ ।
3. ज्वाइंट कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर, मुख्यालय लखनऊ ।


(संजय कुमार पाठक),
ज्वाइंट कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।